(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/254

1. भीमराज पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पुराने जैन मन्दिर के सामने तालेड़ा जिला बून्दी राज0
2. हरिप्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पुराने जैन मन्दिर के सामने तालेड़ा जिला बून्दी

——अपीलांटगण

बनाम

1. रोहित पुत्र उच्छब लाल जाति ब्राह्म्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
2. नीरज उर्फ वीरज पुत्र उच्छब लाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
3. शुभम पुत्र उच्छब लाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
4. मन्जु पत्नी उच्छब लाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
6. धनेश्वर पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
7. नन्दकंवरी पुत्री बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
8. मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
9. हनुमान पुत्र भवंर बाई पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
10. संजय पुत्र भंवर बाई पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास तालेड़ा जिला बून्दी राज0
11. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक तहसील कार्यालय तालेड़ा जिला बून्दी राज0
12. राजस्थान राज्य भू–धारक तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी राज0

13. शाखा मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तालेड़ा जिला बून्दी राज0
14. शाखा मैनेजर केनरा बैंक शाखा बाईपास रोड बून्दी राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री रविदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की ओर से।

दिनांकः 17.09.2025

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 354/2025 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 09.7044 है० वाके ग्राम तालेड़ा तहसील तालेड़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित होकर खाते दर्ज है। जो प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित है। उक्त कृषि भूमि वैधानिक रुप से संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पारिवारिक बँटवारा अनुसार मौका कब्जा पर काबिज होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का वैधानिक बँटवारा नहीं होने तथा मौका तरमीम संयुक्त खातेदारान के अलग अलग खसरा संख्या अंकित नही होने एवं मौका तरमीम नही होने से प्रार्थीगण को कृषि कार्य में समस्या लगातार उत्पन्न होकर चली आ रही है। विधिवत तरमिम के अभाव में संयुक्त खातेदार की भूमि हिस्सा को अप्रार्थीगण बिना मौका तरमीम कराये एवं पृथक पृथक रुप से खातेदारी विधिवत बंटवारा कराये बैचने पर आमादा हो रहे है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सयुंक्त कब्जे काश्त पर कृषि कार्य हेतू बने रास्ते के मौका भूमि को प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकारिता के बैचने पर आमादा हो रहे है जिन्हे अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि सयुंक्त स्वामित्व की भूमि पर प्रत्येक खातेदारान का सयुंक्त कब्जा हिस्सा विधिक रूप से निहित होता है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि वित्तीय ऋण संस्थाओं के मुबिक दर्ज होने से पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित कृषि भूमि

को अप्रार्थीगण निरंतर लगातार अन्य व्यक्तियो के पक्ष में बैचान करने तथा रास्ते की भूमि को बैचने रास्ते मे बाधा कारित करने पर उतारू हो रहे है तथा मूल वाद के निर्णय में कानूनी जटिलतायें एवं वाद पत्र में कानूनी बिन्दू निहित होने तथा उसके निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है तब तक अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के सयुंक्त स्वामित्व की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नही करने एवं अन्य व्यक्ति को बैचान नही करने एवं अन्य व्यक्तियो के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जाना दौराने कार्यवाही मूल वाद के निस्तारण तक पांबद किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने कार्यवाही विचारण वाद वाद विषयक कृषि भूमि का बैचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकार पर काफी विपरीत प्रभाव पडेगा तथा अपने खातेदारी अधिकारो से एवं अपने मौका कब्जे भूमि से वचिंत होना पडेगा। जिसे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की कारित होने की प्रबल संभावना है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सयुक्त खातेदारी एवं अविभाजित कृषि भूमि का बैचान बिना विधिवत मौका तरमीम कराये एवं विधिवत बंटवारा तथा अलग अलग खसरा सं० प्रत्येक पक्षकारान का राजस्व रिकॉर्ड में अकंन कराये बिना कोई पक्षकार वाद विषयक सम्पत्ति का वैचान नही कर सकता। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को विक्रय पत्र का पंजीयन नही करने तथा वाद विषयक आराजीयात मौका स्थिति तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति दौराने वाद तक बनाये रखना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। सहखातेदार उच्छबलाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एवं भंवरबाई पत्नी बजरंगलाल की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी संख्या 9 व 10 को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना–पत्र मे वर्णित आवश्यक कानूनी बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया स्थापित है। क्योकि यदि प्रार्थीगण के सयुंक्त स्वामित्व एवं आराजीयात एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि हिस्सा को अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद बैचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण का वाद पत्र प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जावेगा तथा हक्क अधिकार से वचिंत होना पडेगा तथा साथ ही साथ अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को प्रबल रूप से होगी जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण कभी नही कर सकेगें। इसी प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। न्यायहित में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई बाधा नही है, क्योंकि अप्रार्थीगण दिनांक 10/03/2025 से लगातार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को अप्रार्थीगण सं० 11 व 12 से मिलकर अन्य व्यक्तियो के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करने पर निंरतर आमादा हो रहे है तथा पक्षकारान प्रार्थीगण के आने जाने कृषि कार्य हेतू बने रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द करने हस्तान्तरण नही करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व तथा आने जाने में अप्रार्थीगण जारी कि

जाना नितांत आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पांबद किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित कृषि भूमि का बैचान अप्रार्थीगण बिना विधिवत मौका तरमीम कराये तथा सयुंक्त स्वामित्व के आधिपत्य कब्जे भूमि का अलग अलग खसरा राजस्व रिकॉर्ड में अकंन कराये बिना अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं० 30 का विक्रय पत्र अन्य व्यक्तियो के पक्ष में पंजीयन नही करे राजस्व रिकॉर्ड मौका स्थिति बनाये रखे तथा पक्षकारान के कृषि कार्य हेतू मौके पर बने आवागमन के रास्ते पर किसी प्रकार की रूकावट बाधा नही डाले। अन्य न्यायोचित सहायता जो उपलब्ध हो वह प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2025 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तथाकथित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

जिला बून्दी राज०

10/07/2025 बिना अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुने पारित किया गया है नियत दिनांक को अपीलान्ट अभिभाषक पारिवारिक सदस्य बीमार होने के कारण बून्दी था तथा अपीलान्ट को बहस हेतू तारीख दी गई थी परन्तु दिनांक 15/7/2025 को बहस हेतू उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10/07/2025 को ही स्वतः ही दिनांक 30/04/2025 का आदेश पक्षकारान के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में रिऑक कर दिया। जबकि उक्त आदेश के नीमित पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर गुण–अवगुण पर निर्णीत किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की जाकर उक्त आदेशिका पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिंद्वात के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में वाद विषयक भूमि का बंटवारा हेतू वाद विचाराधीन होना तथा रास्ता भूमि एवं सयुक्त खातेदारी की होना प्रमाणित मानकर तथा प्रार्थना पत्र के निर्णय में मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट० का निस्तारण दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर निर्णीत किया जाना प्रकृट करते हुये मूल प्रार्थना पत्र का ही जैसे निर्धारण कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक कानूनी बिन्दूओ का विवेचन किये बिना ही पारित किया गया है जो स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ, न्यायालय द्वारा मिलीभगत कर रेस्पोडेंट को अनावश्यक लाभ पहुंचाने की नियत को तथा एक पक्ष को विशेष लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त आदेश पारित कर आदेशिका दिनांक 10/07/2025 से आदेश रिऑक किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को ऑर्डर 39 रूल 4 की पालना आवश्यक रूप से की जाकर आदेश पारित करना चाहिए था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नॉन स्पीकिंग ऑर्डर आदेशिका की श्रेणी में आने से विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 13 व 14 की बावजूद सूचना अनुपस्थिति रहने तथा उनके विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किये बिना ही जल्दबाजी कर अपना निर्णय पारित किया गया है जबकि विधि की दृष्टि से अनुपस्थित पक्षकारान के विरूद्ध अमल में लाया जाना आवश्यक था परन्तु ऐसा नही कर विधिक भूल कर अपना आदेश पारित कर दिया गया। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान रेस्पोडेंट 11 व 12 की उपस्थित बाबत कोई आदेशिका पारित नहीं की गई है। जबकि विधिक दृष्टि से सभी पक्षकारान की तलबी एवं अनुपस्थिति रहने उनके विरूद्ध ऑर्डर शीट पर लिया जाना कानूनन रूप से नितांत आवश्यक था। परन्तु फिर भी ऐसा नही, कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि का निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 30/04/2025 में

सयुंक्त खातेदारी होना तथा वाद विषयक भूमि का बिना विधिक बंटवारा कराये, खुर्द बुर्द होना मानकर न्यायहित में रेस्पोडेंट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना माना गया था परन्तु अपनी आदेशिका दिनांक 10/07/2025 में रिऑक किये जाने कोई स्पष्ट कारण अकिंत नही किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट बिना विधिक बंटवारा एवं बिना तरमीन कृषि भूमि रास्ता भूमि को बेचान करने खुर्द बुर्द करने पर निरंतर आमादा होने तथा मौके पर खुन खराबा जान माल की घटना कारित होने की प्रबल संभावना का संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आदेश दिनांक 10/07/2025 की आदेशिका पारित की गई है। जो न्यायहित में अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10/07/2025 की नकल के आदेश की जानकारी दिनांक 15/07/2025 को होने तथा उसी दिन नकल आदेशिका प्राप्त होने पर अन्दर मियाद. अपील प्रस्तुत कर दी गई है जो अवधि मध्य प्रस्तुत है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2025(1) आर.आर.टी. पेज 59, डी.एन.जे. 2016 रेवेन्यु पेज 136, 2024(1) आर.आर.टी. पेज 356, 2024(1) आर.आर.टी. पेज 500 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण को दोनो पक्षकारान की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के निर्दशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण अपने हिस्से की भूमि पर वर्षों से ही काबिज काश्त है प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने पारिवारिक बंटवारा दिनांक का भी प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है कितने वर्ष पूर्व बंटवारा हुआ यह भी उल्लेख नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण अपीलांटगण एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के संयुक्त हिस्से की भूमि है तथा उक्त भूमि में मोके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का रास्ता आवागमन हेतु दर्ज नहीं है प्रार्थीगण अपीलांटगण एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 दोनों एक दुसरे की भूमि में ही कृषि कार्य हेतु आवागमन करते चले आ रहे है प्रार्थीगण अपीलांट के द्वारा रास्ता बाबत कोई राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा पेश नही किया गया है जितना हक एवं अधिकार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलांट का है उतना ही हक एवं अधिकार अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 लगायत 10 का भी है अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय एवं रहन करने का पूरा–पूरा अधिकार है प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण पर सिर्फ दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थीगण अपीलांट एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के संयुक्त हिस्से की भूमि है जिसमे अपने–अपने हिस्से अनुसार प्रार्थीगण अपीलांट एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 को उक्त भूमि के सन्दर्भ में सभी अधिकार प्राप्त है जहाँ तक बेचान का बिंदु है कोई भी रेकोर्डेड खातेदार अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का विक्रय, रहन कर सकता है अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण अपीलांटगण के हक् एवं अधिकार पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योकि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है साथ ही एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थीगण के वाद पत्र में जांच के लिए कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित नहीं है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपने वाद में विधिवत विभाजन का अनुतोष भी नहीं चाहा है केवल मात्र अपने सहखातेदारों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है इस कारण प्रार्थीगण अपीलांटगण के पक्ष में वाद पत्र में जांच के लिए कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित नहीं होने के कारण प्रथम द्रष्टया मामला नहीं बनता है यदि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार से विधिक एवं आर्थिक क्षति नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उपरोक्त तीनो बिंदु प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलांटगण एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 अपने अपने हिस्से पर कृषि भूमि में काबिज काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि में वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है एवं मोके पर भी कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य पेश करके अप्रार्थीगण पर मात्र दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण अपीलांटगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड लेकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 पर दबाव बनाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी अधिकार की भूमि में से रास्ते हेतु भूमि लेना चाहते है जो सरासर गलत है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है वो सरासर गलत है एवं राजस्व रिकॉर्ड के नक़्शे से बिलकुल भिन्न है प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष खुद के द्वारा तेयार किया गया कूटरचित नक्शा प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना

उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेड़ा की खसरा संख्या 30 रकबा 9.7044 हैक्टेयर के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने तथा पंजीयन एवं खुर्द बुर्द नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुताष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2025 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम तालेड़ा तहसील तालेड़ा की खसरा संख्या 30 रकबा 9.7044 हैक्टेयर के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश पारित किया गया है तथा आगामी पेशी दिनांक 30.05.2025 नियत की गई है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.04.2025 में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. तलब किए जाने एवं प्रार्थीगण को सी.पी. सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.06.2025 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने का तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत किए जाने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुके थे तथा उनकी ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की जा चुकी थी। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अप्रार्थीगण की तलबी होने के पश्चात सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना में उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2025 को प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण करने के बजाए पूर्व में दिनांक 30.04.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को रिवोक किए जाने का आदेश पारित किया है जो सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 एवं आदेश दिनांक 30.04.2025 अंतरिम प्रकृति के आदेश है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परन्तु प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है जिसका अतिशीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ

अपील संख्या 2025/254

भीमराज बनाम रोहित, सरकार

न्यायालय को शीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 एवं आदेश दिनांक 30.04.2025 निरस्त किए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनकर प्रकरण का 30 दिवस में सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना करते हुए गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण करें। उभयक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.10.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा